छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 20.01.2010

क्रमांक एफ–10/ 1 /2010/वाक/पांच (3) – छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा,–

(1) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शायी गई वस्तु को कॉलम (3) में दर्शायी गई सीमा तक दिनांक 16.01.2010 से 31.03.2011 तक की कालावधि के लिये कर के भुगतान से छूट प्रदान करती हैः–

अनुसूची

अ.क्र.	वस्तु का नाम	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	शक्कर	सम्पूर्ण कर

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ–10–29/2006/वाक/पांच (17) दिनांक 30.03.2006 में दी गई अनुसूची के अ.क्र. 1 एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों को 16.01.2010 की प्रभावशीलता से विलोपित किया जाय।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 20.01.2010

क्रमांक एफ–10/ 1 /2010/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/1 /2010/वाक/पांच(3), दिनांक 20.01.2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 20-01-2010

No. F-10/ 1 /2010/CT/V (3) - In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby:-

(1) Exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) from 16-01-2010 to 31-03-2011:-

SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of exemption
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	Sugar	Whole of tax

(2) S.No. 1 and entries relating thereto of Schedule to the notification No. F-10-29/2006/CT/V (17) dated 30-03-2006 shall deemed to be omitted with effect from 16-01-2010.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(V.K. Rai)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 26/03/2010

क्रमांक एफ–10/ 23 /2010/वाक/पांच (27) – छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, दिनांक 01.04.2010 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है:–

संशोधन

नीचे दी गई अधिसूचनाओं में अधिसूचना की कालावधि से संबंधित अंक "2010" के स्थान पर अंक "2011" प्रतिस्थापित किया जाय:–

अ.क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
(1)	(2)	(3)
1.	ए–3/28/2000/वि.क./पांच (33)	13.04.2000
2.	एफ–10/20/2003/वाक/पांच (39)	01.05.2003
3.	एफ–10/70/2003/वाक/पांच (93)	06.10.2003
4.	एफ–10/29/2006/वाक/पांच (17)	30.03.2006
5.	एफ–10/58/2006/वाक/पांच (50)	28.04.2006
6.	एफ–10–33/2007/वाक/पांच (24)	02.04.2007

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 26/03/2010

क्रमांक एफ–10/ 23 /2010/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 23 /2010/वाक/पांच(27), दिनांक 26/03/2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 26/03/2010

No. F-10/ 23 /2010/CT/V (27) - In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment with effect from 1st April, 2010,-

AMENDMENT

In the following notifications for the figure related to period of the notification "2010" the figure "2011" shall be substituted:-

S.No.	Notification No.	Date
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	A-3-28/2000/S.T./V (33)	13-04-2000
2.	F-10/20/2003/CT/V (39)	01-05-2003
3.	F-10/70/2003/CT/V (93)	06-10-2003
4.	F-10/29/2006/CT/V (17)	30-03-2006
5.	F-10/58/2006/CT/V (50)	28-04-2006
6.	F-10-33/2007/CT/V (24)	02-04-2007

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(V.K. Rai)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 01/04/2010

क्रमांक एफ–10/29/2010/वाक/पांच (34) – छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शायी गई वस्तुओं की श्रेणी को कॉलम (3) में दर्शायी गई सीमा तक कॉलम (4) में दर्शायी गई शर्तों एवं निर्बन्धों के अंतर्गत दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 तक के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:–

अनुसूची

अ.क.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	शर्तें एवं निर्बन्धन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूची–2 की प्रविष्टि क्रमांक 27 (अ) में वर्णित फ्लाई एश ब्रिक्स	संपूर्ण कर	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ राज्य में निर्मित किया गया है।
2.	समस्त उत्पाद,. लाईम स्टोन को छोड़कर	संपूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित लघु उद्यम द्वारा निर्मित हो, जहां संयंत्र एवं मशीनरी में विनियोजन एक करोड़ रूपए से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

481
3.4.2010

रायपुर, दिनांक 01/04/2010

क्रमांक एफ–10/29/2010/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/29/2010/वाक/पांच (34), दिनांक 01/04/10 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 01/04/2010

No. F-10/ 29 /2010/CT/V (37) - In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) from 01-04-2010 to 31-03-2011, subject to the restriction and conditions specified in column (4) of the schedule the said Act:-

SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fly ash bricks specified in entry No. 27(a) of schedule II.	Whole of tax	When the goods specified in column (2) are manufactured within the State of Chhattisgarh.
2.	All product excluding lime stone	Whole of tax	When manufactured by small enterprise, established in Chhatisgarh State, where the investment in plant and machinery does not exceed one crore rupees.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(V.K. Rai)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31/03/2010

क्रमांक एफ–10/ 29/2010/वाक/पांच (35) – छत्तीसगढ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए–5–14–97–वाक–पांच (78) दिनांक 29.09.1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में–

अनुक्रमांक 4 के कॉलम (3) में प्रविष्टि क्रमांक (ii) का लोप किया जाय एवं प्रविष्टि क्रमांक (i) के पश्चात् निम्न प्रविष्टियां क्रमांक (ii) एवं (iii) जोडी जाय:–

कॉलम (3)	कॉलम (5)
(ii) जब क्लिंकर के निर्माण में उपयोग किया जाय और ऐसा क्लिंकर:–	
(अ) राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर के रूप में भेजा जाय ।	25 प्रतिशत
(ब) उपरोक्त "अ" में निर्दिष्ट परिस्थिति से भिन्न उपयोग, उपभोग अथवा विक्रय किया जाय ।	10 प्रतिशत
(iii) प्रविष्टि क्रमांक (i) एवं (ii) में वर्णित वस्तुओं से भिन्न वस्तु के निर्माण में उपयोग किया जाय।	10 प्रतिशत

2. यह संशोधन दिनांक 01.04.2010 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ–10/ 29 /2010/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/ 29 /2010/वाक/पांच(35), दिनांक 31/3/10 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 31/03/10

No. F-10/ 29 /2010/CT/V (35) - In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in notification no. A-5-14-97-CT-V (78) dated 29-09-1997,-

AMENDMENT

In Schedule to the said notification-

In S. No. 4, the entry no. (ii) against column no. (3) shall be omitted and after entry no. (i) the following entries no. (ii) and (iii) shall be inserted:-

Column (3)	Column (5)
(ii) When used in manufacture of clinker and such clinker is :-	
(a) sent out side the state by way of stock transfer.	25 percent
(b) used, consumed or sold otherwise than in the circumstances specified in (a) above.	10 percent
(iii) When used in manufacture of goods other than those mentioned in entry no. (i) and (ii)	10 percent

2. This amendment shall come into force with effect from 01-04-2010.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(V.K. Rai)
Deputy Secretary

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31/03/2010

क्रमांक एफ–10/29/2010/वाक/पांच (36) – छत्तीसगढ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–10–68/2007/वाक/पांच (34) दिनांक 24.05.2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है,–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में–

अ.क्र. 1 सिगरेट में कॉलम (3) में शब्दों "सम्पूर्ण कर" के स्थान पर शब्दों एवं अंक "अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 7.5 प्रतिशत हो जाए" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. यह संशोधन दिनांक 01.04.2010 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 31/03/2010

क्रमांक एफ–10/29/2010/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/29/2010/वाक/पांच(36), दिनांक 31/03/10 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 31/03/2010

No. F-10/ 29 /2010/CT/V (36) - In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F-10-68/2007/CT/V (34) dated 24-05-2007,-

AMENDMENT

In Schedule to the said notification-

In column (3) against S.No. 1 Cigarette, in place of the words "Whole of tax" the words and figures "Partly so as to reduce the rate of tax to 7.5 percent" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01-04-2010.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(V.K. Rai)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30 / 04 / 2010

क्रमांक एफ 10–29 / 2010 / वाक / पांच (39) – छत्तीसगढ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एत्द द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ–10 / 29 / 2010 / वाक / पांच (35) दिनांक 31.03.2010 के संबंध में निम्नानुसार शुद्धिपत्र जारी किया जाता है:–

शुद्धिपत्र

उक्त अधिसूचना की हिन्दी प्रति के पंक्ति कमांक 2 में तथा अंग्रेजी प्रति के पंक्ति कमांक 1 में शब्द एवं अंक ''धारा 10'' के स्थान पर, शब्द एवं अंक ''धारा 4–क'' प्रतिस्थापित किया जाय।

2. यह संशोधन 01.04.2010 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. रॉय)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 30 / 04 / 2010

क्रमांक एफ 10–29 / 2010 / वाक / पांच – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–29 / 2010 / वाक / पांच (39), दिनांक 30/4/10 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. रॉय)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30/04/2010

No. F 10-29/2010/CT/V (39) – The following corrigendum is being issued in respect of Notification No. F 10-29/2010/CT/V (35) dated 31-03-2010, issued by the State Government in exercise of the powers conferred by section 4-A of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976):-

CORRIGENDUM

In the second line of Hindi version and first line of English version of said notification the word and figure "section 10" the figure "section 4-A" shall be substituted.

2.This amendment shall be effect from 01-04-2010.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(V.K. Rai)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 25.06.2010

क्रमांक एफ—10/ 32 /2010/वाक/पांच (52) — छत्तीसगढ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा—

संशोधन

(1) नियम 8 के उपनियम (1) के परन्तुक के अंत के शब्द एवं वाक्य ''व्यापारी द्वारा प्ररूप—सात में विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यतः फाइल की जाएगी'' का लोप किया जाए।

(2) नियम 8 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्न उपनियम (1—क) जोड़ा जायः—

''(1—क) (i) व्यापारी प्रारूप सात में विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से आयुक्त द्वारा प्राधिकृत प्रमाणीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी उसके अंकीय हस्ताक्षर कर अथवा बिना अंकीय हस्ताक्षर कर फाइल कर सकता है।

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित एवं पंजीयत कंपनी द्वारा विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यतः फाइल की जाएगी।

(iii) प्रांतीय अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यवसायी जिनका सकल वार्शिक विक्रय चालीस लाख रूपये से अधिक हो, द्वारा विवरणी इलेक्ट्रानिक पद्धति से अनिवार्यतः फाइल की जाएगी।''

2. यह संशोधन दिनांक 01.07.2010 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 25.06.2010

क्रमांक एफ—10/ 32 /2010/वाक/पांच—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—10/ 32 /2010/वाक/पांच(52), दिनांक का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 25-06-2010

No. F-10/ 32 /2010/CT/V (52) - In exercise of the powers conferred by section 20 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Niyam, 1976, namely,-

AMENDMENT

(1) In the last Para of the proviso of Sub-rule (1) of rule 8, the words and sentences "A dealer may file return in form VII electronically affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner. A company formed and registered under the Companies Act, 1956, shall be compulsorily file the return electronically." shall be omitted.

(2) After Sub-rule (1) of rule 8, the following sub-rule (1-A) shall be added:-

"(1-A) (a) A dealer may file return in Form VII electronically without digital signature or affixing his digital signature issued by certifying authority authorised by the Commissioner.

(b) A company formed and registered under the Companies Act, 1956 shall compulsorily file the return electronically.

(c) A dealer registered under the State Act, whose annual gross turnover exceeds rupees forty lac, shall compulsorily file the return electronically"

2. This amendment shall come into force with effect from 01-07-2010.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(V.K. Rai)
Deputy Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 30/08/2010

क्रमांक एफ–10/29/2010/वाक/पांच (62) – छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–10/29/2010/वाक/पांच (34) दिनांक 01.04.2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में –

अनुक्रमांक 2 के सामने कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट शर्तें एवं निर्बंधन में शब्द "लघु" का लोप किया जाए।

2. यह संशोधन दिनांक 01.04.2010 से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 30/08/2010

क्रमांक एफ–10/29/2010/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/29/2010/वाक/पांच (62), दिनांक 30/08/2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(व्ही.के. राय)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya
Dau Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 30/08/2010

No. F-10/ 29 /2010/CT/V (62) - In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F-10/29/2010/CT/V (34) dated 01-04-2010:-

AMENDMENT

In schedule to the said notification-

In restriction and condition specified in column (4) against S.No. 2, the word "small" shall be omitted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01-04-2010.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(V.K. Rai)
Deputy Secretary